

संपत्ति अवभार प्रमाण-पत्र

प्रमाण-पत्र संख्या 311/2019 आवेदन सं० 688/2019
 चैक श्री Mangru Singh

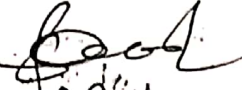
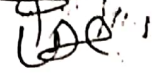
ने मेरे पास आवेदन दिया है कि निम्नांकित संपत्ति के संबंध में निबोधित संव्यवहारों और अवभारों का सविस्तर प्रमाण-पत्र दिया जाये। (आवेदन में दिये गये तथ्य के अनुसार विवरण दे।)

इसलिये मैं इसके द्वारा प्रमाणित करता हूँ कि उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में यही मैं और इससे सम्बद्ध अनुक्रमणियों में ता० 2004 से ता० 2011 तक तलाशी की गयी और ऐसी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला.....
 चला है अतः अज्ञात मुक्त है

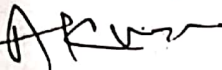
क्र० सं०	(क) संपत्ति का विवरण	निष्पादन की तारीख	(ख) दस्तावेज का प्रकार और मूल्य	पक्षों का नाम		दस्तावेज की प्रविष्टि के प्र० निदेश		
				निष्पादक	दावेदार	जिल्द	वर्ष	पृष्ठ
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Mowar - Kolhans							
	Thomson - 365							
	Chetan - 29 (old) 02 (New)							
	Plot - 558 (old), 891/1039 (New)							
	Tavrin - 3160							
	Hes - 38 Deewan							

1. दस्तावेज को अनुसार दर्ज करें।
2. संबंध-पत्र की दिशा ब्याज की कर और भुगतान की अवधि दर्ज करें। वसुली की उनके बारे में उल्लेख हो।
3. पट्टे की दशा में पट्टे की अवधि और वार्षिक लगान दर्ज करें।
में यह प्रमाणित करता हूँ कि उपर्युक्त संबंधधारों और अवधारों को छोड़ उक्त संपत्ति को प्रमाणित करने वाले किसी अन्य संबंधधारों और अवधार का पता नहीं चला है।

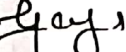
निम्न व्यक्ति ने तलासी की प्रमाण-पत्र तैयार किया:

(हस्ताक्षर): 
(पदनाम): 

तलासी का सत्यापन और प्रमाण की जांच निम्न व्यक्ति ने की:

(हस्ताक्षर): 

(पदनाम): 

कार्यालय: 

तारीख: 14/3/2019



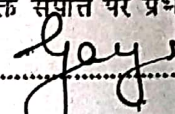
मुहर एवं निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी:- इस प्रमाण-पत्र में जो संबंधधार और अवधार दिखाये गये हैं वे आवेदन द्वारा प्रस्तुति संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक के द्वारा किये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं किन्हीं संपत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया हो तो वैसी दस्तावेजों से प्रमाणित संबंधधार (ट्रान्जेक्शनस) इस प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।

2. निबंधन अधिनियम की धारा-49 के अधीन जो व्यक्ति (बहियों) और अनुक्रमणियों (इन्डेन्स) की प्रवृत्तियाँ देखना चाहते हो अथवा उनकी प्रतिलिपि लेना चाहते हो जिन्हें निर्दिष्ट संपत्तियों के अवधारों के प्रमाण-पत्रों को जरूरत हो उन्हें तलासी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहियाँ और अनुक्रमणियाँ उनके पास रखदी जायेगी।

(क) किन्तु चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलासी नहीं की है, इसलिये कार्यालय अपेक्षित तलासी प्रमाण की किसी भूल के लिये किसी भी तरह जिम्मेदार नहीं होगा।

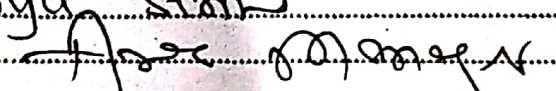
(ख) और चूँकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलासी स्वयं की है, और चूँकि उसके बाद हुँदे गये संबंधधारों और अवधारों को सत्यापन के बाद प्रमाण-पत्र दे दिया है, इसलिये विभाग आवेदक द्वारा हुँदे गये ऐसे संबंधधारों और अवधारों की छूट के लिए किसी तरह जिम्मेदार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

कार्यालय, जिला निबंधक: 

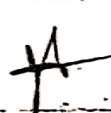
ज्ञाप संख्या: 378

दिनांक: 14/3/19

आवेदक श्री: Mangy Singh

का ऋणधार प्रमाण-पत्र द्वारा:  DEPT. P&S

का उनके पत्र संख्या: दिनांक: के प्रसंग में अग्रसारित की जाती है।


14/3/19